राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email Id : pdme2k.rdd@ rajasthan.gov.in)

क्रमांक प. 4(21)ग्रावि/अनु–8/वी.सी./2021 जयपुर, दिनांक :– 21/06/2021

बैठक कार्यवाही विवरण

ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु शासन सचिव महोदय, ग्रावि की अध्यक्षता में दिनांक 16.06.2021 को शासन सचिवालय के उत्तर–पश्चिमी भवन के समिति कक्ष से योजना प्रभारियों के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं जिला परियोजना प्रबंधक–राजीविका की वी.सी. के माध्यम से बैठक आयोजित की गयी। श्रीमान अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण –

- योजना की स्थायी वरीयता सूची में शामिल भूमिहीन पात्र परिवारों को भूखण्ड आवंटित किये जावे। इस संबंध में निकट भविष्य में आयोजित होने वाले **"प्रशासन गांवों के संग अभियान"** में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन कराये जावें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 हेतु जारी रैंकिंग में राज्य द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त होने पर सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला/पंचायत के आवास प्रभारियों को बधाई/धन्यवाद प्रकट किया गया। साथ ही जिला टोंक, जैसलमेर, प्रतापगढ़, भरतपुर एवं बूंदी के क्रमशः अपूर्ण/प्रगतिरत 12,295 (32.1%), 6,767(24.5%), 12,956(23.3%), 2,992(22.0%) एवं 7,755(20.9%) आवासों को शीघ्र ही पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।
- मैसन प्रशिक्षण अन्तर्गत जिला सिरोही द्वारा कोई भी अंक अर्जित नहीं किये जाने के कारणों की चर्चा में जिले को शीघ्र आयोजित प्रशिक्षण का CSDCI से मूल्यांकन कराने एवं अन्य कम प्रगति वाले जिलों यथा– बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर एवं चित्तौडगढ़ को भी मूल्यांकन कराने के निर्देश प्रदान किये गये।
- योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अन्य विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेंस के तहत लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही सौभाग्य योजना एवं उज्ज्वला योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने की समय सीमा दिसम्बर, 2021 तक बढ़ाये जाने पर उक्त योजनाओं से सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित किये जाने एवं पात्र लाभार्थियों को पोषण वाटिका का लाभ भी नियमानुसार दिये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
- अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवारों की सूची में से बकाया आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड सीडिंग का कार्य अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया एवं साथ ही अतिरिक्त चिन्हित पात्र परिवारों की सूची में से अपात्र परिवारों का हटाये जाने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

- स्थायी वरीयता सूची में से अपात्र परिवारों को रिमाण्ड पर अपलोड कर सूची को 5 दिवस में **शून्य बकाया** करने हेतु निर्देशित किया गया।
- योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोटो टाईप आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने एवं पूर्ण होने की सूचना मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
- इंदिरा आवास योजना, सीएमबीपीएल आवास योजना एवं अन्य चिन्हित वर्ग आवास योजना के आवासों को भी पूर्ण कराने हेतु निर्देशित करते हुये बकाया मैसन प्रशिक्षण के लक्ष्यों के अंतर्गत यदि आरपीएल प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हों, तो इन आवासों को प्रशिक्षण के दौरान ही पूर्ण कराने को प्राथमिकता दी जावे।
- जिला जयपुर को तथ्यात्मक विवरण **"निर्माण के निर्णय में विलम्ब के कारण निधियों का अवरोधन राशि रू. 8.75 करोड़ एवं मूल्य वृद्धि राशि रू. 75.74 लाख"** के संबंध में ठोस अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- भीलवाड़ा, सिरोही एवं टोंक जिले को अनुच्छेद **"Failure in implementation/ monitoring not only indicates to possibility of missappropriston of Funds to the tune of Rs. 5.90 Crore, but also resulted in non-consturstion of dwelling units defeating the very objective of the Seheme"** की तथ्यात्मक अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- सी.ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 में महालेखाकार की सवींक्षा अनुसार जिला बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, राजसमंद एवं उदयपुर जिले को वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 2.3 "सीएमबीपीएल आवास योजनान्तर्गत निर्माण" के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही कर अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
- सी.ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 से 2014–15 तक की जिला भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, करौली, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर एव उदयपुर को नवीनतम स्थिति की अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
- भीलवाड़ा जिले को अनुच्छेद **"Failure in implementation/ monitoring not only led to missappropriston of Funds to the tune of Rs. 4.14 Crore, but also resulted in non-consturstion of dwelling units deleating of dwelling units deleathing the very objective of the Seheme"** की तथ्यात्मक अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार आंवटित सीजीएफ मद की राशि का 75 प्रतिशत व्यय अनिवार्य रूप से व्यय करने के क्रम में जिला भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, जालौर, बांसवाड़ा, अलवर एवं डूंगरपुर को दिनांक 30 जून 2021 तक संबंधित कलस्टरों को आवंटित राशि 75 प्रतिशत व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

2. PFMS प्रणाली से भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला प्रतापगढ़,जयपुर,बांसवाडा को योजनामद से किया जाने वाला भुगतान अनिवार्य रूप से PFMS प्रणाली से करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. जिला भरतपुर, बाडमेर, जयपुर, बीकानेर एवं बांसवाड़ा को DPMU व CDMU में स्टाफ नियोजन हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।
4. SPMRM योजना से संबंधित सभी जिलों को संबंधित कलस्टरो में स्वीकृत कार्यों की 30 जून, 2021 तक रूर्बन साफ्ट पर सभी कार्यो (सीजीएफ एवं कन्वर्जेंस) की प्रविष्टि व जीओ टैगिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2021 एवं 11.06.2021 को संबंधित कलस्टर्स के जिला योजना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देश को समाहित करते हुए संशोधित डीपीआर 30 जून, 2021 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्रामीण विकास योजनाए :–

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–

- योजना की सीए ऑडिट रिपोर्ट विधायकवार तैयार कर दिनांक 30 जून 2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- जिला जयपुर द्वारा 14वीं विधानसभा तक की अनअभिशंषित/अव्यतीत राशि को 15वीं विधानसभा में उपयोग के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
- माननीय विधायकों से सम्पर्क कर उपलब्ध राशि की स्वीकृतियां जारी करने व पीडी खातों में 75 लाख से ज्यादा राशि अवशेष नहीं रखने के निर्देश दिये गये।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–

- नोडल जिले, सम्बन्धित क्रियान्वयन जिलों से नियमित प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करते हुए भारत सरकार के MPLAD पोर्टल पर नियमित मासिक प्रगति रिपोर्ट का इन्द्राज करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- उपलब्ध राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी करने एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- पूर्व के सांसदों के खातों को बन्द कराने व नोडल जिलों को यूसी भिजवाने के निर्देश दिये गये।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम :–

- बीएडीपी ओ.एम.एस. में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में शत–प्रतिशत कार्यों का प्रमाणीकरण कराते हुये डेटा प्रविष्टि की विसंगतियों को दुरस्त करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 के प्रस्तावित एवं समस्त कार्यों की एब्सट्रैक्ट आफॅ कॉस्ट यथाशीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये गये।

- सभी सीमावर्ती जिलों को दिनांक 30 जून 2021 से पूर्व वर्ष 2018–19 तक की शत–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- बीएडीपी योजना में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को बढाने के प्रयास किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
- भारत सरकार से आगामी राशि प्राप्त करने हेतु सीमावर्ती चारों जिलें योजनान्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर, उपलब्ध राशि व्यय कर, यूसी–सीसी जारी करना सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किये गये।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना :–

- सभी जिलों को योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

डांग/मगरा/मेवात एवं स्वविवेक :–

- कम प्रगति वाले जिलों को योजना में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
- पीडी खातें में राशि उपलब्ध होने पर योजना में राशि जारी नही की जा सकती है, अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बिना स्वीकृति के राशि शेष नही रखने के निर्देश प्रदान किये गये।
- शासन सचिव महोदय ने संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विभागीय क्षेत्रीय विकास योजनाओं में विशेष ध्यान देकर कार्य कराने के निर्देश दिये गये।
- स्व–विवेक जिला विकास योजना में शासन सचिव महोदय ने स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना :–

- स्वीकृत कार्यों की राशि की रिपोर्ट में पीडी खाते की राशि, जन सहयोग की राशि व लौटाई जाने वाली राशि घटा कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिये गये।

सांसद आर्दश ग्राम योजना

- सांसद आर्दश ग्राम योजना में माननीय सांसदों से सम्पर्क कर गांवों का चयन करवाने हेतु संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

<u>राजीविका</u>

1. लक्ष्यानुसार स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने हेतु जिला स्तर की बैंकर्स कमेटी के माध्यम से जिला परियोजना प्रबन्धक को प्रयास करने के निर्देश दिये गये। जिन जिलों की प्रगति कम है, संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक–राजीविका विशेष रूप से ध्यान देवें।
2. कन्वर्जेंस के कार्य पूर्ण कराने हेतु CLF को पाबंद कराने एवं आवश्यक सहयोग करने के निर्देश प्रदान किये गये।

3. महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले पात्र परिवारों का रूचि के अनुसार ट्रेड चिन्हीकरण कर प्रशिक्षण हेतु **"कौशल पंजीएप"** पर पंजीकरण कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

बायोफ्यूल प्राधिकरण

1. अलवर, दौसा, जयपुर एंव सीकर जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्बन्धित विकास अधिकारियों के माध्यम से नवीन राष्ट्रीय बायोगैस एवं ऑर्गेनिक मेन्योर कार्यक्रम (NNBOMP) अन्तर्गत निर्मित कराये गये घरेलू बायोगैस संयंत्रों के भौतिक सत्यापन 10 दिवस की अवधि में करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. (अ) बायोफ्यूल प्राधिकरण द्वारा रतनजोत, करंज, महुआ एवं अन्य अखाद्य तैलीय पौधों के वृक्षारोपण के वार्षिक भौतिक लक्ष्यों का आवंटन 12 बायोफ्यूल जिलों (बांसवाड़ा, बून्दी, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौडगढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर एवं राजसमंद) में वर्ष 2021–22 में आवंटित लक्ष्यों पूर्ण करने हेतु शासन सचिव, ग्रा.वि. के पत्र क्र. 135 दि. 07.06.2021 के अनुरूप जिले के कुल पौधारोपण के लक्ष्य में से न्यूनतम 20% पौधारोपण उक्त प्रजातियों का किया जाने हेतु संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

2 (ब) इसी प्रकार 8 जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, करौली, स.माधोपुर एंव टोंक) में शासन सचिव, ग्रा.वि. के पत्र क्र. 136 दि. 07.06.2021 के अनुरूप जिले में पौधारोपण हेतु निर्धारित कुल लक्ष्य का 20% तक करंज व नीम का पौधारोपण राजकीय भूमि, चारागाह एवं सड़क किनारे किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2 (स) जिला परिषद बांसवाड़ा एंव बूंदी से प्रगति की सूचना नियमित रूप से प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. बंजरभूमि एवं चारागाह विकास कार्यक्रम अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये विभाग द्वारा निर्धारित कार्य योजना के अन्तर्गत जिला, ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर गठित बंजरभूमि एवं चारागाह विकास समितियों के सदस्यों के एवं अन्य भागीदारों की क्षमता अभिवर्द्धन हेतु जिला स्तर पर एक एवं पंचायत समिति स्तर पर पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुऐ आयोजन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समाजिक अंकेक्षण

- जिन पंचायत समितियों में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण मानदेय भुगतान प्रारम्भ नहीं हो पाया है, उनमें यथाशीघ्र भुगतान प्रारम्भ किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को व्यक्तिशः ध्यान देकर विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने बाबत निर्देशित किया गया।
- सामाजिक अंकेक्षण में निकाली गयी बकाया राशियों की वसूली हेतु संबंधित जिले शीघ्र कार्यवाही करें। शासन सचिव महोदय द्वारा बकाया वसूली हेतु विशेष रूप से जिला डूंगरपुर व भीलवाड़ा को शीघ्र वसूली कराने के निर्देश दिये गये।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद– चित्तौडगढ को पंचायत समिति – भदेसर में सामाजिक अंकेक्षण के सदस्यों के साथ किये गये दुर्व्यवहार पर तथ्यात्मक टिप्पणी आगामी 7 दिवस में भिजवाने के निर्देश दिये गये।

  सामाजिक अंकेक्षण की अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र–10 में भिजवाने के निर्देश दिये गये। समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण मानेदय भुगतान असफल होने पर सभी विकास अधिकारियों को आगामी दिवस में पुनः निर्धारित प्रक्रिया से भुगतान करने की कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

उक्त बिन्दुओं की पालना रिपोर्ट दिनांक 05 जुलाई 2021 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का कष्ट करावें।

(विजय प्रकाश जालुका)
परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
2 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, स्वयं सहायता समूह एवं आजीविका परियोजनाऐं।
3 जिला कलक्टर समस्त।
4 परियोजना निदेशक (LP & SHG), राजीविका।
5 परि. निदे. एवं उप सचिव (एसएपी/मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
6 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT)।
7 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल प्राधिकरण।
9 स्टेट नोडल अधिकारी, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण।
10 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
11 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
12 सहायक निदेशक (प्रचार), ईजीएस।
13 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट **www.rdprd.gov.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मों. एवं मू.)